



5 September, 2023

राष्ट्रीय पोषण माह 2023

संदर्भ: राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के पहले दिन, देश भर में 10 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये गए।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सितंबर 2023 में छठा राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है।
- आयोजन के विषयों में 'मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार' और 'विशेष स्तनपान और पूरक आहार' शामिल हैं।
- इस अभियान का लक्ष्य स्वस्थ भारत के लिए बेहतर पोषण को बढ़ावा देने में प्रत्येक नागरिक को शामिल करना है।
- पोषण माह 2023 का उद्देश्य गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था जैसे चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन-चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण को व्यापक रूप से कम करना है।
- पोषण माह 2023 का केंद्रीय विषय "सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत" (पोषण-समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, सशक्त भारत) है।
- एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के राष्ट्रव्यापी प्रयास शामिल होंगे, जिसमें विशेष स्तनपान और पूरक आहार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पोषण 2.0

- मिशन पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है।
- यह एक रणनीतिक बदलाव के माध्यम से पोषण सामग्री और इसके वितरण में सुधार लाने तथा स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है।
- पोषण 2.0 का लक्ष्य पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत भोजन की गुणवत्ता और वितरण को अनुकूलित करना है।
- यह मिशन मानव पूंजी विकास में योगदान देता है, पोषण जागरूकता बढ़ाता है, अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देता है और पोषण संबंधी कमियों को दूर करता है।
- इसमें तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाएं शामिल हैं:
 - आंगनबाड़ी सेवाएँ
 - किशोरियों के लिए योजना
 - पोषण अभियान
- पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, कुपोषण के उपचार और आयुष के माध्यम से मानव कल्याण पर केंद्रित है।
- यह कन्वर्जेंस (सम्मिलन), गवर्नंस (शासन) और क्षमता-निर्माण जैसे मानकों पर आधारित है।
- यह मिशन विभिन्न रणनीतियों को एकीकृत करता है, जिसमें सुधारात्मक, पोषण जागरूकता, संचार और हरित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शामिल है।
- प्रमुख मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ मजबूत हस्तक्षेप-संचालित अभिसरण गतिविधियाँ मिशन के उद्देश्यों को साकार करने में मदद करेंगी।
- 1 मार्च, 2021 को शुरू किया गया "पोषण ट्रेकर", पारदर्शी पोषण वितरण सहायता प्रणालियों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है।
- पोषण ट्रेकर बाल कुपोषण की पहचान और पोषण सेवा वितरण की अंतिम-लक्ष्य बिंदु तक पहुँच के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

G20 सम्मलेन

संदर्भ: 18वां वार्षिक G20 राष्ट्रध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

- 1999 में स्थापित, G20 ने शुरुआत में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों पर ध्यान केंद्रित किया।
- 2008 के वित्तीय और आर्थिक संकट के बाद यह एक नेताओं के मंच में परिवर्तित हो गया।
- जी 20 शिखर सम्मेलन एक वर्ष के दौरान सभी मेजबान देशों में आयोजित बैठकों का समापन है।
- इन बैठकों में मंत्री, सरकारी अधिकारी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- G20 तीन प्रमुख ट्रैकों के माध्यम से संचालित होता है: वित्त ट्रैक, शेरपा ट्रैक और अनौपचारिक सहभागिता समूह।

वित्त ट्रैक:

- वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा किया जाता है।
- ये सभी एक वर्ष में लगभग चार बार बैठकें करते हैं, जिसमें विश्व बैंक और आईएमएफ सभाओं के दौरान दो बैठकें होती हैं।
- वित्त ट्रैक मुख्य रूप से राजकोषीय और मौद्रिक मामलों को संबोधित करता है।
- मुख्य विषयों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, वित्तीय नियम, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय कराधान शामिल हैं।
- वित्त ट्रैक का समय के साथ विस्तार हुआ है और वर्तमान में इसमें कुल आठ कार्य समूह शामिल हैं।
- महामारी के बाद वित्त ट्रैक ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जैसे:
 - ऋण सेवा निलंबन पहल (डीएसएसआई) इन उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है।
 - डीएसएसआई से इतर ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचे की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।
 - G20 ने सतत वित्त सम्बन्धी दिशानिर्देश विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - दो-स्तंभीय समाधान के माध्यम से अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान किया गया।
 - गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवश्यक G20 सिद्धांतों की शुरुआत की गई।
 - महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर) के लिए समर्पित एक वित्तीय मध्यस्थ कोष (एफआईएफ) के निर्माण का प्रस्ताव लाया गया।

शेरपा ट्रैक

- शेरपा ट्रैक की स्थापना 2008 में की गई थी जब जी20 एक नेताओं के शिखर सम्मेलन में बदल गया था।
- यह राज्य के प्रमुखों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों से बना है।

Face to Face Centres





5 September, 2023

- शेरपा ट्रेक कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश सहित सामाजिक-आर्थिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित है।
- शेरपा ट्रेक के प्रत्येक प्रतिनिधि को शेरपा के रूप में जाना जाता है, जो पर्वतारोहण से एक समानता बताता है, कि शेरपा चुनौतीपूर्ण अभियानों में पर्वतारोहियों की सहायता करते हैं।
- शेरपा ट्रेक के भीतर कुल 13 कार्य समूह कार्यरत हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रों के लिए समर्पित है।
- इन कार्य समूहों में कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, संस्कृति, विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा परिवर्तन, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा व्यापार और निवेश शामिल हैं।

सहभागिता समूह:

- G20 के अनौपचारिक सहभागिता समूह में नागरिक समाज संगठनों से युक्त सहभागिता समूह शामिल हैं।
- ये सहभागिता समूह G20 नेताओं के लिए सिफारिशें तैयार करके G20 प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जो नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
- इस अनौपचारिक ट्रेक के भीतर कुल 11 सहभागिता समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- सहभागिता समूहों में बिजनेस 20 (बी 20), सिविल 20 (सी 20), लेबर 20 (एल 20), पार्लियामेंट 20 (पी 20), साइंस 20 (एस20), एसएआई20, स्टार्टअप 20 (एस20), थिंक 20 (टी 20), अर्बन 20 (यू 20), वूमेन 20 (डब्ल्यू 20) और यूथ 20 (Y20) शामिल हैं।

अनुच्छेद 368 और मूल संरचना

संदर्भ: हाल ही में एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि, कि क्या अनुच्छेद 370 को संविधान की मूल संरचना और संशोधन करने के संसद के अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- यह बहस संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत और संसद की संशोधन शक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 370 के महत्व से संबंधित है।
- यह अनुच्छेद 370 के उन्मूलन की कानूनी चुनौती से उत्पन्न हुआ है।
- इस बात पर लगातार विवाद बना है कि क्या 1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 संशोधन योग्य नहीं रह गया था?
- बहस इस बात पर भी है कि क्या अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 368 (संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति) के अधीन है या अनुच्छेद 370(3) के तहत इसकी एक अलग प्रक्रिया है?
- सरकार की वर्तमान स्थिति में बदलाव अनुच्छेद 370 को रद्द करने की राष्ट्रपति की असाधारण शक्ति को भी उल्लेखित करता है।

मूल संरचना:

- भारतीय संविधान में "मूल संरचना" शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है; इसके बजाय, यह विभिन्न मामलों और कानूनी व्याख्याओं के माध्यम से समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हुआ है।
- इस अवधारणा का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र के सार की रक्षा करना और अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है।
- भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत आवश्यक है।
- ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले ने इस सिद्धांत को महत्व दिया गया और स्थापित किया कि भारतीय संविधान की मूल संरचना को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता।
- **मूल संरचना का विकास:**

- **शंकर प्रसाद मामला (1951):** अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की स्थापना की।
- **सज्जन सिंह मामला (1965):** मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के लिए संसद के अधिकार की पुष्टि की।
- **गोलकनाथ केस (1967):** पिछले फैसलों को पलट दिया, यह दावा करते हुए कि नई संविधान सभा के बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता।
- **केशवानंद भारती मामला (1973):** इस मामले में मूल संरचना सिद्धांत पेश किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि संविधान की मूल संरचना को संवैधानिक संशोधनों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है।
- **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस (1975):** आपातकाल अवधि के दौरान बुनियादी सुविधाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए एक संवैधानिक संशोधन को रद्द करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत को लागू किया गया।
- **मिनर्वा मिल्स केस (1980):** इसने मूल संरचना सिद्धांत को सुदृढ़ किया, संशोधनों को रद्द किया और संसद पर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की।
- **वामनराव मामला (1981):** मूल संरचना सिद्धांत को दोहराया और संवैधानिक संशोधनों के लिए इसके आवेदन के लिए एक निर्धारित तिथि तय की।
- **इंद्रा साहनी और यूनियन ऑफ इंडिया केस (1992):** अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण नीतियों को संबोधित किया और बुनियादी सुविधाओं की सूची में "कानून का नियम" जोड़ा।
- **एस.आर. बोम्मई केस (1994):** राज्य सरकारों द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन संरचना सिद्धांतों को लागू किया गया, जिससे संविधान की मूल संरचना को खतरा था।

अनुच्छेद 368:

"भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति देता है, जब तक कि वे संविधान की 'मूल संरचना' में परिवर्तन नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है :

- **साधारण बहुमत:** इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।
- **विशेष बहुमत:** किसी विधेयक को तब पारित माना जाता है जब उसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ सदन की कुल ताकत के 50% से अधिक का समर्थन प्राप्त हो।
- **संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति:** संघीय ढांचे में संशोधन करते समय इस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के अलावा, इसके लिए साधारण बहुमत के माध्यम से आधे राज्य विधान मंडलों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। राज्यों के लिए अपनी सहमति प्रदान करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।

भारतीय संविधान में, विशेष बहुमत से संबंधित प्रावधान विभिन्न अनुच्छेदों में पाए जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 368, और अनुच्छेद 361, ये सभी अलग-अलग परिदृश्यों के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया:

- संशोधन संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करने के साथ शुरू होता है, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा शुरू किया जा सकता है।
- विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के साथ पारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।

Face to Face Centres





5 September, 2023

- दोनों सदनों को व्यक्तिगत रूप से विधेयक को मंजूरी देनी होगी, और असहमति के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
- यदि संशोधन संविधान के प्रावधानों को प्रभावित करता है, तो इसे साधारण बहुमत के माध्यम से आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद, विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति सहमति को रोकने या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने में असमर्थ है।
- राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही विधेयक संविधान का हिस्सा बन जाता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

आइजोल जूलॉजिकल पार्क



अवस्थिति: आइजोल जूलॉजिकल पार्क भारत के मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थित है।
उद्देश्य: इस जूलॉजिकल पार्क की स्थापना मिजोरम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैव विविधता संरक्षण और प्रदर्शन के लिए की गई थी।
जैव विविधता: इसमें स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों सहित देशी एवं विदेशी प्रजातियों की एक विविध श्रृंखला मौजूद है।
संरक्षण फोकस: आइजोल जूलॉजिकल पार्क सक्रिय रूप से पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में भाग लेता है, स्थानीय वन्यजीवों की रक्षा करता है और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण सम्बंधित कार्य करता है।
अनुसंधान: यह वन्यजीव अनुसंधान और व्यवहार सहित पारिस्थितिकी और संरक्षण पर अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है।
सहयोग: यह संरक्षण और अनुसंधान के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग करता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)



स्थापना: यूएनएफपीए की स्थापना वर्ष 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी और 1969 से यह कार्य करने लगा।
मुख्यालय: न्यूयॉर्क।
संक्षेपाक्षर: मूल रूप से मानव जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष (यूएनएफपीए) के रूप में जाना जाता है। यूएनएफपीए के संक्षिप्त नाम को बरकरार रखते हुए 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया।
फंडिंग: यूएनएफपीए विभिन्न सरकारों, फाउंडेशनों, व्यक्तियों और अंतर-सरकारी संगठनों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया जाता है।
उद्देश्य: यूएनएफपीए का उद्देश्य वांछित गर्भधारण, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना और युवा लोगों की क्षमता को पूरा करना है।
शासनादेश: इसका अधिदेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें जनसंख्या सम्बन्धी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संबंधित रणनीतियों का समर्थन करना भी शामिल है।
SDG के साथ संरेखण: यूएनएफपीए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 3 (स्वास्थ्य), 4 (शिक्षा) और 5 (लिंग समानता) में प्रत्यक्षतः योगदान देता है।
यूएनएफपीए और भारत: भारत के 2028 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का अनुमान है, और यूएनएफपीए भारत में मातृ मृत्यु दर और लिंग भेदभाव जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रहा है।
यूएनएफपीए रिपोर्ट 2019: 2019 में, UNFPA ने संचालन के 50 वर्ष और काहिरा में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICPD) के 25 वर्ष पूरे किए, जिसमें सभी के लिए अधिकारों और प्रजनन स्वास्थ्य की चल रही खोज पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)



स्थापना: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी।
मुख्यालय : एनजीटी मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। इसके अन्य चार कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं।
अनिवार्य निपटान समय: एनजीटी को आवेदन या अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने के भीतर अंतिम निपटान करने का आदेश दिया गया है।
एनजीटी की संरचना:
➤ **सदस्य:** एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। वे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
➤ **अध्यक्ष की नियुक्ति:** अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
➤ **चयन समिति:** केंद्र सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति करती है।
➤ **सदस्यता सीमा:** एनजीटी में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं।
शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र:
➤ **उद्देश्य:** एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संरक्षण और वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी।
➤ **अपील न्यायिक क्षेत्र:** एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जो उसे एक न्यायालय के रूप में अपील सुनने की अनुमति देता है।
➤ **प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता:** हालांकि एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।

आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज (PAPA)



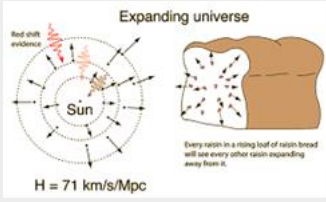
आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज क्या है:
आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज (PAPA) आदित्य-एल1 मिशन का एक पेलोड है। यह पेलोड सौर पवन प्लाज्मा के गुणों, उसका घनत्व, तापमान और संरचना को मापेगा। यह सौर हवा और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच के संपर्कों का भी अध्ययन करेगा।
PAPA में दो सेंसर हैं:
➤ **सौर पवन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जांच (SWEEP):** यह सौर पवन के इलेक्ट्रॉन प्रवाह को मापता है।
➤ **सौर पवन आयन संरचना विश्लेषक (SWICAR):** यह सौर पवन के आयन प्रवाह को मापता है।
आदित्य-एल1 मिशन में अन्य पेलोड भी शामिल हैं, जैसे:
➤ दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ (VELC)
➤ सौर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप
➤ सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS)
➤ उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HELIOS)

Face to Face Centres





5 September, 2023

हबबल स्थिरांक 	हबबल स्थिरांक क्या है? हबबल स्थिरांक ब्रह्मांड के विस्तार की वर्तमान दर को मापता है। एडविन हबबल: उन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की और हबबल के निरंतर अनुसंधान की नींव रखी। महत्व: यह ब्रह्मांड की आयु, आकार और विकास के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इकाइयाँ: इस स्थिरांक को किमी/सेकंड/एमपीसी में मापा जाता है, जो प्रति मेगापरसेक गैलेक्टिक पृथक्करण की गति को दर्शाता है। मापन विधियाँ: मापन तकनीकों में सुपरनोवा चमक, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विश्लेषण और गुरुत्वाकर्षण तरंगें शामिल हैं। नई विधियाँ: शोधकर्ता लेंसिंग गुरुत्वाकर्षण तरंगों जैसे नवीन दृष्टिकोणों का पता लगाते हैं। लौकिक महत्व: ब्रह्माण्ड संबंधी मॉडल और ब्रह्मांड के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण। आशय: विसंगतियों का समाधान ब्रह्मांड की हमारी मौलिक समझ पर प्रभाव डालता है। भविष्य के अनुसंधान: चल रहे प्रयासों का उद्देश्य माप सटीकता में सुधार करना और ब्रह्माण्ड संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाना है।
आक्रामक प्रजातियाँ 	आक्रामक प्रजातियाँ मनुष्यों द्वारा नए आवासों में लाए गए गैर-देशी जीव हैं, जो अक्सर पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं और जैव विविधता को खतरे में डालते हैं। वे मूल निवासियों को विस्थापित करके, उनके आवासों में परिवर्तन करके, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित करके, जैव विविधता और संतुलन को कम करके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। आक्रामक प्रजातियाँ फसलों, मत्स्य पालन और बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लागत की हानि उठानी पड़ती है। इनमें से कुछ प्रजातियों में मनुष्यों, पशुओं और वन्य जीवन को प्रभावित करने वाली बीमारियाँ होती हैं, जैसे मलेरिया या जीका फैलाने वाले मच्छर। उदाहरण: क्षेत्रीय या वैश्विक आक्रामक प्रजातियाँ; उदाहरण के लिए, जलकुंभी, एशियाई कार्प आदि जो पारिस्थितिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करती हैं। व्यापार, परिवहन और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियाँ आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को सुविधाजनक बनाती हैं। आक्रामक प्रजातियाँ मूल निवासियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे मूल प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं या विलुप्त हो जाती हैं।
समाचारों में स्थान नाइन-डैश लाइन	हाल ही में, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश चीन के नए राष्ट्रीय मानचित्र और दक्षिण चीन सागर में उसकी विवादित नाइन डैश लाइन (Nine Dash Line) को खारिज करने में भारत के साथ एकजुट हुए हैं। नाइन-डैश लाइन क्या है? ➤ नाइन डैश लाइन (Nine Dash Line) एक भौगोलिक सीमांकन रेखा है, जिसमें नौ डैश शामिल हैं, इसे चीन द्वारा मानचित्रों पर खींची जाती है। इसका उपयोग चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावों और समुद्री अधिकारों का दावा करने के लिए किया जाता है। चीन के दावों को खारिज कर रहे देश: ➤ फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान और भारत सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने नाइन-डैश लाइन से जुड़े चीन के दावों पर अपनी असहमति व्यक्त की है। ➤ ये देश दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों पर विवाद करते हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और संघर्ष होते हैं। चीन का दावा: ➤ चीन का यह दावा व्यापक है, जिसमें दक्षिण चीन सागर का लगभग 90% हिस्सा शामिल है। ➤ यह दावा मुख्य रूप से ऐतिहासिक यू-आकार की नाइन-डैश लाइन पर आधारित है जो शुरू में 1940 के दशक में मानचित्रों पर खींची गई थी। ➤ इस दावे में दक्षिण चीन सागर में पारासेल द्वीप और स्प्रैटली द्वीप समूह सहित कई द्वीप शामिल हैं। विवाद और तनाव: ➤ नाइन-डैश लाइन दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में विवाद और भू राजनीतिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। ➤ चीन के अलावा कई देशों के एक ही जल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावे और हित हैं, जिससे मछली पकड़ने के अधिकार, संसाधन अन्वेषण और समुद्री सीमाओं पर विवाद और संघर्ष होते रहते हैं। 

POINTS TO PONDER

- ❖ समाचारों में नजर आए किशोर जेना किस खेल से संबंधित हैं? - जैवलिन थ्रो (भाला फेंक)
- ❖ आरसीएस के तहत, उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? - ओडिशा
- ❖ 20वें सप्ताह के आसपास शुरू होने वाले गर्भकालीन उच्च रक्तचाप के विकार को क्या कहा जाता है? - प्रीक्लेम्पसिया
- ❖ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाए गए मध्य जुरासिक काल के सॉरोपोड डायनासोर के जीवाश्म का क्या नाम है? - थारो सारस इंडिकस
- ❖ भारत का पहला 'फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स' किस संस्था ने विकसित किया? - आईआईएम अहमदाबाद

Face to Face Centres

